जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 341 प्रभात हिण्डौन सिटी, रविवार 11 अक्टूबर, 2026 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

लगभग एक भी प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर नहीं पहुँचा

पर इंडिया ब्लॉक फिर भी इसे अपनी भारी सफलता बता रहा है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर। जंतर-मंतर पर एक भी प्रदर्शनकारी मौजूद नहीं होने के बावजूद, ज्ञानेश कुमार और मोदी सरकार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा बुलाया गया आंदोलन शानदार और जबरदस्त रूप से सफल रहा।

करीब 50,000 पुलिसकर्मियों द्वारा की गई हर सड़क और रास्ते की घेराबंदी और नाकेबंदी के बावजूद, यह सरकार के लिए खोखली जीत थी।

संदेश बिल्कुल साफ और जोरदार तरीके से सामने आया कि मोदी-शाह सरकार ने अपना राजनीतिक प्रभाव और मानसिक संतुलन, दोनों खो दिये हैं।

यह सरकार की ओर से इस बात की स्वीकारोक्ति है कि उसने गैरकानूनी तरीके से गणतंत्र को नष्ट किया है, अराजकता फैलाई है और लोकतंत्र को ऐसा नुकसान पहुँचाया है, जिसकी भरपाई संभव नहीं हो सकती।

यह अपराधबोध की स्वीकारोक्ति भी है कि सरकार ने चुनाव चुराए हैं। इसी वजह से सरकार घबराई हुई है और जगह-जगह नाकाबंदी की गई है।

हजारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया।

सीजेपी के नेताओं को उस विमान से उतारकर हिरासत में ले लिया गया, जो उन्हें मुंबई से लेकर आया था। इसके बाद उन्हें अलग-अलग अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया।

एक पुलिसकर्मी ने खबर दी कि दिपके की दादी का निधन हो गया है और कल सुबह महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके में उनका अंतिम संस्कार होना है। लेकिन न तो उनके माता-पिता उनसे संपर्क कर पाए और न ही यह पता चल रहा था कि उन्हें कहाँ रखा गया है या उन तक कैसे पहुँचा जाए।

दिल्ली पूरी तरह घेराबंदी में थी। हालात किसी दूतावास के आसपास की सुरक्षा से भी ज्यादा सख्त थे। मध्य दिल्ली के चारों ओर की सड़कें बंद कर दी गई थीं और लगभग पूर्ण कर्फ्यू जैसा माहौल था।

बहुत से लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने दिल्ली में चल रहे इस तमाशे को देखा, जिसकी खबरें अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में छाई हुई हैं।

सरकार को डर है कि यदि छात्र और जेन ज़ी के युवा जंतर-मंतर पर धरने पर बैठ गए और जगह खाली करने से इनकार कर दिया, तो ज्ञानेश कुमार को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा।

लेकिन सरकार ने जिस तरह कार्रवाई की और प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी, उससे साफ हो गया है कि ज्ञानेश कुमार को बचने की उम्मीद बहुत कम है और मोदी तथा शाह के बचने की उम्मीद तो और भी कम है।

लेकिन यह अंत नहीं है। आज तो आंदोलन की केवल शुरुआत थी। जैसे ही आंदोलन से जुड़ी पाबंदियाँ हटेंगी, जेन ज़ी के युवा जंतर-मंतर पर पहुँच जाएंगे और यह पूरी कवायद बेकार साबित होगी।

कोई भी लोकतंत्र विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों से उस तरह नहीं निपटता, जिस तरह मोदी और शाह ने किया है। ये दोनों पक्का कर रहे हैं कि देश तानाशाही की ओर बढ़े, जहाँ लोगों

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- इंडिया ब्लॉक के अनुसार, दिल्ली की सड़कों पर 50,000 पुलिसकर्मी मौजूद थे, अतः अगर सरकार इसे अपनी सफलता गिना रही है तो यह काफी थोथी सफलता है
- कॉकरोज जनता पार्टी के अनुसार, हर तरह की साजिश रची गई, कॉकरोज जनता पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। एक अफवाह यह फैलाई गई कि दीपके की दादी का देहांत हो गया है तथा दाह संस्कार कल (अगले दिन) है। पर, किसी को मालूम नहीं दीपके कहाँ हैं और उनसे कैसे संपर्क किया जा सकता है।
- इन हालात में बहुत से लोगों ने घर में बने रहने का निर्णय लिया।
- कॉकरोच जनता पार्टी का मानना है, सरकार को भय है कि अगर जैन ज़ी के समर्थक जंतर-मंतर पहुँच गए तो उनसे वह जगह खाली करवाना और मुश्किल हो जाएगा। पर, यह भी आशंका है कि जब भी प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा की गई, तब जैन ज़ी, जंतर-मंतर पहुँच जाएगी और प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर नहीं पहुँचने देने की सारी कवायद व्यर्थ हो जाएगी।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले किरायेदार को 20 साल की सजा

जयपुर, 10 अक्टूबर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले पड़ोसी किराएदार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 21 साल के इस अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि यदि अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाया गया तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

- वर्ष 2022 में मुरलीपुरा थाने की घटना में अदालत ने एक लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 24 सितंबर, 2022 को मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि सुबह वह, उसका पति और बेटा काम पर गए थे और कमरे पर दो बेटे और पीड़िता थे। दोपहर को उसके बेटे ने आकर बताया कि पीड़िता के साथ अभियुक्त ने गलत काम किया है। सूचना पर जब वह घर आई तो पीड़िता ने बताया कि पास के कमरे में रहने वाले अभियुक्त ने उसके एक भाई को चाउमीन लाने बाहर भेज दिया और दूसरे को मोबाइल दे दिया। इसके बाद

(शेष पृष्ठ 5 पर)

अभिजीत दीपके ने आंदोलन की कमान अजिंक्य शिंदे को सौंपी

उनको आशंका थी, जैसे ही उनकी मुंबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट पहुँचेगी, उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके को पता था कि दिल्ली में उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें पहले से ही इसका अंदेशा था। सीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हिरासत में लिए जाने के बाद दिपके ने आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अजिंक्य शिंदे को सौंप दी है। दिपके ने शनिवार को पहले से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में घोषणा की कि सीजेपी के संगठन प्रभारी शिंदे अन्य नेताओं की रिहाई तक प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे।

विमान से दिपके को हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद यह वीडियो सीजेपी के एक्स खाते पर पोस्ट किया गया। इसमें दिपके ने शीर्ष नेतृत्व की अनुपस्थिति में आंदोलन की कमान शिंदे को सौंप दी।

दिपके ने वीडियो में कहा, "अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे, सौरव दास और आशुतोष रांका को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी अनुपस्थिति में अजिंक्य, प्रदर्शन और सीजेपी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। कृपया उनका साथ दें।"

अभिजीत ने संभावित गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए यह वीडियो पिछली रात ही रिकॉर्ड कर लिया था।

एक वीडियो बयान में शिंदे ने समर्थकों से जंतर-मंतर की ओर बढ़ते रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें जहाँ भी रोके, वे उसी जगह प्रदर्शन शुरू कर दें।

शिंदे ने कहा, "सरकार हमारी एकता से डरी हुई है। कृपया जंतर-मंतर पहुँचें। अगर पुलिस आपको रोकती है, तो उसी जगह को जंतर-मंतर बना दें।"

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए दिपके और सीजेपी के सदस्य सौरव दास तथा आशुतोष रांका मुंबई से राजधानी पहुँचे थे। दिल्ली में विमान के उतरते ही पुलिसकर्मी विमान

(शेष पृष्ठ 5 पर)

- अतः फ्लाइट पकड़ने के लिए मुंबई के सांताक्रूज़ हवाई अड्डे पर प्लेन पर चढ़ने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
- इसलिए उन्होंने पहले से ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तथा गिरफ्तारी के बाद यह वीडियो कॉकरोज जनता पार्टी के अधिकृत एक्स हैंडिल पर रिलीज़ कर दिया गया।
- वीडियो में मैसेज था कि दीपके, सौरव दास व आशुतोष रंका को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अजिंक्य शिंदे के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा।

मुख्य चुनाव आयुक्त का हटना, क्या हसीन ख्वाब ही है?

उनको हटाना उतना ही कठिन है, जितना सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को जबरन पद मुक्त करना

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में युवाओं के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन शनिवार, 10 अक्टूबर को तेज़ हो गया। इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं, विपक्ष के प्रमुख नेताओं, छात्र कार्यकर्ताओं और हज़ारों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद, जंतर-मंतर पर होने वाला प्रस्तावित प्रदर्शन चुनाव की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को लेकर एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया।

- ऐसे भी कुछ आसार नज़र नहीं आते कि, उन्हें "अचानक" अपराध बोध" होगा, और वे स्वयमेव इस्तीफा दे देंगे।

पुलिस अधिकारियों के हवाले से मिली खबरों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने राजधानी में 3,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरव दास तथा आशुतोष रांका को मुंबई से दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद, विमान के अन्दर ही हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शन स्थल तक पहुँचने से पहले ही आंदोलन के प्रमुख नेताओं को हिरासत में लिए जाने से, छात्र संगठनों और विपक्षी दलों का समर्थन हासिल कर चुके आंदोलन से निपटने के लिए अधिकारियों ने जो रवैया अपनाया उस पर सवाल उठे। पुलिस ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं और पहले से पर्याप्त सूचना न मिलने का हवाला देते हुए, प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

पुलिस की कार्रवाई केवल सीजेपी के नेताओं तक सीमित नहीं रही। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री

(शेष पृष्ठ 5 पर)

राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की

चेन्नई, 10 अक्टूबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के अध्यक्ष जोसेफ विजय से चेन्नई के पास पनैयूर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री विजय ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में टीवीके की जीत पर विजय को बधाई दी। इसके बाद दोनों नेताओं ने दोपहर के भोजन के दौरान बातचीत की।

- उन्होंने विजय को उपचुनावों की जीत पर बधाई दी।

राहुल गांधी और मुख्यमंत्री विजय के बीच हुई इस बैठक में टीवीके, कांग्रेस या गठबंधन में शामिल किसी अन्य दल का कोई नेता मौजूद नहीं था। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

'जन्तर-मन्तर सब जगह प्रस्फुटित हो जाएंगे, अगर सरकार ने प्रदर्शनकारियों को "ब्लॉक" किया'

अखिलेश यादव जैन ज़ी के आंदोलन को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं देखना चाहते

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित, कई राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में युवाओं की नाराज़गी का फायदा उठाने के लिए अपने प्रयास तेज़ कर दिए हैं।

आज सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पहुँचने से रोकने की केन्द्र सरकार की कोशिशों के बीच, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की चेतावनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "अगर सरकार प्रदर्शनकारियों को रोकती है, तो देश में हर जगह जंतर-मंतर खड़े हो जाएंगे।"

- अखिलेश, इस आंदोलन को यूपी तक ले जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र यूपी है, और वे यूपी में इस जैन ज़ी की ऊर्जा का उपयोग करना चाहते हैं।
- इसके प्रयुक्तर में भाजपा मु.मंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े पैमाने पर एक लाख शिक्षण संस्थाओं में "आउटरीच" चला रखा है।
- कांग्रेस इन मुद्दों पर ज्यादा सक्रिय नहीं, वह सपा के साथ सम्बंध दोस्ताना रखने में ही अपनी सार्थकता समझ रही है।

ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव इस आंदोलन को केवल दिल्ली तक सीमित न रखकर, इसे व्यापक रुप देना चाहते हैं। साथ ही, वे जंतर-मंतर को युवाओं की जागृति और नई राजनीतिक चेतना के प्रतीक के तौर पर पेश करना चाह रहे हैं। इस संदेश के ज़रिए यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शन पर रोक लगाना भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सोच का सबूत है। ऐसी रोक, विरोध को खत्म करने के बजाय, उल्टा असर करेगी। इसके साथ ही, समाजवादी पार्टी खुद को जैन ज़ी के जोश और ऊर्जा के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आगामी चुनावों में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

पिछले एक साल में उत्तर प्रदेश में छात्रों का विरोध लगातार देखने को मिला है। लेखपाल और सब-इंस्पेक्टर

(शेष पृष्ठ 5 पर)

लोक अदालत में 8.60 लाख लंबित मुकदमों का निस्तारण हुआ

जयपुर, 10 अक्टूबर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को साल 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें प्री-लिटिगेशन सहित कुल 67.20 लाख से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया गया और 25 अरब रुपए से अधिक के अवार्ड जारी किए गए। निस्तारित हुए प्रकरणों में 8.60 लाख से अधिक लंबित मुकदमे शामिल हैं।

- वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 25 अरब रूपए से अधिक के अवॉर्ड जारी हुए।

लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस मौके पर हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी मौजूद

(शेष पृष्ठ 5 पर)

124 आई.ए.एस. और आई.एफ.एस. ने चुनाव आयुक्त के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किये

इन अफसरों के अनुसार, केवल आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर। भारत के चुनाव आयुक्त का बचाव करते हुए 124 पूर्व आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के खुले पत्र ने भारत में चुनाव की निष्पक्षता, संस्थाओं की विश्वसनीयता और जनता के प्रति जवाबदेही के बीच संबंधों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है।

इस विवाद का मुख्य मुद्दा मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पैशल इंटैन्सिव रिविज़न/एसआईआर) है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों की पुष्टि करना, अयोग्य या डुप्लिकेट नामों को हटाना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिकों के नाम ही वोट देने के लिए पंजीकृत हों। पूर्व नौकरशाहों का मुख्य तर्क है कि चुनावी धांधली के आरोपों को केवल इसलिए सही नहीं मान लेना चाहिए कि उन्हें राजनीतिक रूप से जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। ऐसे आरोपों को विश्वसनीय सबूतों से साबित किया जाना चाहिए।

यह रूख लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है। चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संस्था के खिलाफ लगाये गये आरोपों का मूल्यांकन, सत्यापन योग्य तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक बयानबाजी के आधार पर। हेरफेर के दावों तथा विशिष्ट अनियमितताओं की पहचान होनी चाहिए, सहायक दस्तावेज़ दिए जाने चाहिए और सबूतों की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। इसी तरह, चुनाव आयोग को भी अपनी प्रक्रियाओं और फैसलों से जुड़े उचित सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

- इन अफसरों के अनुसार, किसी आरोप को केवल इसलिए "सिद्ध" नही मान लेना चाहिए, क्योंकि वह आरोप बड़े पुरजोर ढंग से बहुप्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा लगाया गया है।
- आरोप "सिद्ध" तभी माना जाना चाहिये जब, आरोप को सही सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत तथ्यों की निष्पक्ष तरीके से जांच हो गई हो।

10 अक्टूबर, 2026 को सामने आया यह पत्र विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों के विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है, जो मतदाता सूची संशोधन में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। विवाद इस दावे के कारण और बढ़ गया है कि मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम गायब हो गए हैं और चिंताएं हैं कि वैध मतदाताओं के नाम भी हटाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य डुप्लिकेट, मृत और अन्यथा अयोग्य मतदाताओं के नामों की पहचान करना है।

पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पूर्व अधिकारियों ने चुनाव हारने पर चुनावी नतीजों को चुनौती देने की प्रवृत्ति पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि किसी संस्था को किसी राजनीतिक दल की जीत के समय विश्वसनीय और हार के समय बेईमान नहीं कहा जा सकता। उन्होंने भारत के चुनावी सुरक्षा उपायों का भी उल्लेख किया है। इसमें मतदान केन्द्रों पर मतदान एजेंटों की मौजूदगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को सील करना और उनकी सुरक्षा, स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था तथा वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) के माध्यम से सत्यापन शामिल हैं।

उनका तर्क है कि वोटों में हेराफेरी के आरोपों के साथ ऐसे सबूत भी होने चाहिए, जिनकी उचित कानूनी और संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से जाँच की जा सके। केवल सार्वजनिक रूप से आरोप लगा देने से उन्हें साबित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

एसआईआर केवल मतदाता सूचियों को अपडेट करने की तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। मतदाता सूचियाँ तय करती हैं कि कौन अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। सूचियों को सही करने से, गलत पहचान बताकर मतदान करने, एक ही व्यक्ति के कई बार रजिस्ट्रेशन और अन्य गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यदि जाँच प्रक्रिया (वैरिफिकेशन प्रोसैस) के दौरान गलती से योग्य वोटरों के नाम हट जाते हैं, तो इससे नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं और जिस निष्पक्षता के लिए यह प्रक्रिया

(शेष पृष्ठ 5 पर)

सीजेपी आज फिर जंतर-मंतर के लिए कूच करेगी

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता अजिंक्य शिंदे ने एलान किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन उनका इस्तीफा न होने तक जारी रहेगा। सीजेपी नेता अजिंक्य शिंदे ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रविवार को सीजेपी के कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी एक बार फिर से जंतर-मंतर की ओर कूच करेंगे।

- सीजेपी नेता अजिंक्य शिंदे ने ऐलान किया कि उनका प्रदर्शन ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा न होने तक जारी रहेगा।

उन्होंने आगे कहा, अभिजीत दिपके की दादी का आज निधन हो गया। इसके बावजूद पुलिस ने दिपके को उनके वकील या घर वालों से बात नहीं करने दी। पुलिस उन पर इमोशनल